# न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, अजमेर (राज.)

—00—

अपील संख्या ....43/2022 जिला अजमेर

—00—

2022/43

1. भंवरसिह पुत्र बीरमसिंह आयु 50 वर्ष
2. मोटा पुत्र बीरमसिह आयु 45 वर्ष
3. जीवणसिंह पुत्र बीरमसिह आयु 42 वर्ष
4. हीरासिंह पुत्र बीरमसिह आयु 40 वर्ष समस्त जातिगण रावत निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर

अपीलार्थीगण

बनाम

43/2022
27.01.22

1. शिवराज पुत्र मंगला जाति रावत निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
2. दी मैनेजर बैक आफ बडौदा शाखा भवानीखेडा जिला अजमेंर
3. उपपंजीयक अधिकारी महोदय, उपपंजीयन कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेंर
4. राजस्थान सरकार जरिऐ विद्वान तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

रेस्पोडेन्टगण

5. अमरसिंह पुत्र लाला
6. आपू पुत्री पन्ना
7. करणा पुत्र राजू
8. केली पुत्री रामा
9. किशना पुत्र हरजी
10. गंगा पत्नि हरजी
11. गोपाल पुत्र झीता
12. गोमी पत्नि झीता
13. घीसा पुत्र बज्जा
14. छोटी पत्नि रामा
15. दल्ला पुत्र रामा
16. दूला पुत्र बाघा
17. नारायणी पुत्र झीता
18. पेमा पुत्र राजू

19.प्रवणी उर्फ प्रेम पुत्री बीरमसिह
20.बख्ता पुत्र पन्ना
21.बाबू पुत्र पदमा
22.मेवा पुत्र माला
23.मोडा सिंह पुत्र राजू
24.रूकमा पुत्री पन्ना
25.रतना पुत्र राजू
26.रतनी पत्नि बीरमसिंह
27.लक्ष्मण पुत्र झीता
28.लाडी पत्नि हमीरा
29.हगामी पुत्री बीरमसिंह
30.हरि पुत्र बज्जा
31.होनी पुत्री झीता
32.सुवा पुत्र जोरा
33.कविता पुत्री जयसिंह
34.ज्ञाना पुत्री बगता
35.टीना पुत्री जयसिह
36.धर्मराज पुत्र जयसिह
37.पिंकी पुत्री जयसिह
38.मनीष पुत्र जयसिंह
39.शारदा पत्नि जयसिंह
40.संतोष पुत्री बगता समस्त जातिगण रावत निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
41.चम्पू खां पुत्र जफर खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
42.गुमानी पत्नि मंगला
43.लक्ष्मी पुत्री मंगला
44.सिकन्दर पुत्र मंगला समस्त जातिगण रावत निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर

रेस्पाडेंट्सगण

---

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित आदेश**

नसीराबाद

3/2022/225 भंवरसिंह वगै० बनाम शिवराज व अन्य

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

<table>
<tr><td>तारीख पेशी</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर<br>श्री मंगला राम चौधरी, एड़वोकेट      श्री</td><td>नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>भंवरसिंह व अन्य बनाम शिवराज व अन्य</td><td></td></tr>
<tr><td>27/1/2022</td><td>यह अपील श्री मंगला राम चौधरी एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद के आदेश दिनांक 06.01.2022, प्रकरण संख्या 5/2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.2022 को पेश हों।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>अजमेर</td><td></td></tr>
<tr><td>01/2/2022</td><td>पत्रावली वास्ते सुनवाई स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.2022 को पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को ते स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।<br>अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र कथन किया कि अपीलान्ट ने एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 प्रस्तुत किया साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं परफोर्मा अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी/काश्तकारी भूमि वाके मौजा बिठूर पटवार क्षेत्र बिठूर भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राजगढ तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदार है तथा संयुक्त रूप से काश्त करते है तथा वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का अपना अपना हक, हिस्सा निहित है का आज दिवस तक बंटवारा नहीं हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने प्रकरण संख्या 5/2022 दिनांक 06.01.2022 को दर्ज किया जाकर एकपक्षीय आदेश दिनांक 06.01.2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 06.01.2022 को प्रस्तुत किया गया तथा उक्त दिनांक 06.01.2022 को एकतरफा सुनवाई करते हुए ग्राम बिठूर की भूमि हाल खाता संख्या 154/157, 20/19, 19/18, खसरा नम्बर 2777, 2438/3370, 723 की आराजी प्राथ्री व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की है तथा आराजी अविभाजित है जिसके विभाजन हेतु वादी द्वारा वाद पेश किया गया है अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के विशिष्ठ भू भाग का बेचान नहीं करें व मौके की स्थिति यथावत रखे का आदेश पारित किया गया तथा तामिल का शपथपत्र आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के तहत आवश्यक रूप से पेश करे के पश्चात दिनांक 10.02.2022 को आगामी पेशी नियत की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलान्टस को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा उनकी पीठ पीछे एकतरफा बहस सुनकर दिनांक 06.01.2022 को एकतरफा विशिष्ठ भू भाग का बेचान नहीं करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे के आदेश पारित किया। उक्त आदेश की आड में अपीलान्ट को बेदखल करने पर आमदा व अग्रसर है तथा फसल से महरूम करना चाहते है। जिससे अस्थाई</td><td>निरन्तर-</td></tr>
</table>

P.T.O.

नागौर

47/2022/[illegible] [illegible] बनाम [illegible] व अन्य

श्री [illegible], [illegible]

निरन्तर— निषेधाज्ञा का एक तरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के प्रभाव को स्थगित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2022 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दिनांक 06.01.2022 को प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2022 का अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया गया है कि आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग का बेचान न करे व मौके की यथास्थिति रखे। कोई आपत्ति हो तो आगामी पेशी दिनांक 10.02.2022 तक पेश करें के आदेश दिये गये थे। माननीय राजस्व मण्डल राज., अजमेर ने रिवीजन/ एलआर/9867/2012/नागौर बउनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य, निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है। न्यायहित में पक्षकारान के समय एवं आर्थिक मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है वे प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को 30 दिवस में निर्णित करे ।

अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील उक्तानुसार निर्णित की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को 30 दिवस में निर्णित करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । /

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,

अजमेर